फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09/06/2016	पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर स्थल ग्रा.प. चैनपुर बर्रिया पर प्रस्तुत हुई। रेस्पोडेन्ट को बुलाने जाने पर उपस्थित हुई। वादी अनुपस्थित रहा। मजमे आम मे एवम् रिकार्ड की जानकारी ली गई। विक्रय पत्र मे स्पष्ट उल्लेख है कि ख.नं.–02 ग्राम बर्रिया की भूमि रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 हिस्से मे से 9 बिस्वा विक्रेतागण धन्ना, गिरधारी पुत्रान दुर्गा एवम् मिश्री बेवा दुर्गा जाति नाई निवासी बर्रिया ने क्रेता मुसको पत्नी भरतलाल मीना निवासी बर्रिया को दिनांक–31.08.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता को बेचान किया है। किन्तु नामान्तकरण संख्या 427 दर्ज किया तत्समय नामान्तकरण के निर्णय दिनांक 20.02.2008 के अनुसार ख.नं–02 ग्राम बर्रिया की भूमि रकबा 08 बिस्वा क्रेता के पक्ष मे गलत अंकित कर दिया। इस कारण वादीगण ~~ने~~ धन्ना, गिरधारी पुत्रान दुर्गा एवम् मिश्री बेवा दुर्गा जाति नाई निवासी बर्रिया ने न्यायालय द्वारा मे ना-करण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी। प्रतिवादी ने जाहिर किया कि मेरे ~~कि~~ विक्रेता पर पैसे शेष है यदि वह मेरे पैसे दे देता है तो मैं उसकी जमीन उसके नाम कराने को तैयार हूँ। मजमे आम एवं रेकॉर्ड की जानकारी के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर ना.नंबर 427 दि. 20.2.08 खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विक्रय पत्र के अनुसार पुन: ना.करण दर्ज कर निर्णय पारित करें एवं पालना